-:: प्रेस-नोट ::-　　　　　देवास पुलिस

नाबालिग की नृशंस हत्या का पर्दाफाश

संक्षिप्त विवरण :- दिनांक **06.12.2022** को ग्राम बांगरदा (बरोठा) के संरपच कैलाश जनपद के द्वारा थाना बरोठा पर सूचना दी गई की मेहरबान सिंह चौहान के खेत पर एक अज्ञात बालक का शव झाडियों मे पडा हुआ है । उक्त सूचना पर थाना प्रभारी बरोठा तत्काल अपने मय फोर्स के रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया एवं उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया । पुलिस अधीक्षक देवास एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवास घटनास्थल पहुंचे एवं ग्रामीणोंजनो व परिजनों से चर्चा की । घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत मामला प्रथम दृष्टया हत्या से संबंधित था । ग्रामीणों के द्वारा उक्त शव की पहचान **हरिओम चौहान पिता मोहनलाल चौहान उम्र 15 साल निवासी बांगरदा थाना बरोठा के रूप मे की गई ।** ग्रामीणोजनों से चर्चा करने पर पता चला कि मृतक एवं उसके परिवार का ग्राम बांगरदा एवं आसपास के क्षेत्र मे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नही था। **यह भी ज्ञात हुआ कि मृतक हरिओम चौहान बहुत भोला एवं मासूम था** किसी से भी कभी भी उसका कोई विवाद नही हुआ था ।

उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा **03** विशेष टीमों का गठन किया गया । टीम प्रभारी के द्वारा गठित टीम को अलग अलग कार्य सौपे गये जहां एक और तकनीकी टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये गये,वही अन्य दो टीमो के द्वारा गांव के लोगो से और मृतक के परिवार से जानकारी लेना प्रारंभ किया गया । पुलिस अधीक्षक देवास के निर्देशन पर पूछताछ में वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए **Prolonged interrogation** किया गया लगातर प्रयासो से **अंतत: मृतक के पिता मोहनलाल ने अपराध करना स्वीकार कर लिया** और बताया कि मैने ही **अपने पुत्र हरिओम चौहान की हत्या कर दी है ।** उक्त आरोपी के विरूद्व थाना बरोठा में अपराध क्रमांक **529/2022** धारा **302,201** भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

घटना का कारण:- आरोपी मोहनलाल चौहान के अपने चचेरे भाई की पत्नि से अवैध संबंध थे,जिसे मृतक ने अपात्तिजनक स्थिति में देख लिया था । वह किसी को बता न दे इस भय के कारण आरोपी द्वारा उक्त घटना कारित की गई ।

जप्तशुदा सामग्री :- घटना में प्रयुक्त दराता,रस्सी,मृतक की चप्पल एवं आरोपी के कपडे ।

गिरफ्तार आरोपी के नाम:-

1. मोहनलाल चौहान पिता रामचन्द्र चौहान उम्र **45** साल निवासी बागरदा थाना बरोठा ।
2. आशा भौसले पति राहुल चौहान उम्र **28** साल निवासी बागरदा थाना बरोठा ।

सराहनीय कार्य :- उपरोक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी बरोठा शैलेन्द्र मुकाती,थाना प्रभारी अजाक अंजू शर्मा,उनि कमल किशोर मालवीय,सउनि धर्मेन्द्र नागर,प्रआर सुरेश चौहान,सुनील रावत,मनोज पटेल,सुरेश कुमावत,पूजा बामनिया,आरक्षक नरेन्द्र,सैनिक संजीव पटेल,शेखर पटेल थाना बरोठा एवं सायबर टीम प्रआर शिवप्रताप सिंह सेंगर,सचिन चौहान सराहनीय भूमिका रही है । पुलिस अधीक्षक महोदय देवास के द्वारा टीम को 10000/-रूपये इनाम की घोषणा की गई ।